

जलवायु हेतु वत्तितपोषण में आत्मनिर्भरता

यह एडिटोरियल 27/02/2023 को 'हंडि बजिनेस लाइन' में प्रकाशित "Being atmanirbhar in climate finance" लेख पर आधारित है। इसमें जलवायु वत्तितपोषण के मुद्दे और इसे संबोधित करने के तरीकों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

जलवायु वत्तित (Climate finance) उन वत्तितीय संसाधनों को संदर्भित करता है जो जलवायु परविरतन और इसके प्रभावों को संबोधित करने के लिये आवंटित किये जाते हैं। इसमें जलवायु शमन और अनुकूलन उपायों का समर्थन करने वाले वत्तितीय साधनों एवं तंत्रों की एक वसितृत शृंखला शामिल है। नमिन-कारबन और जलवायु-प्रत्यास्थी अरथव्यवस्थाओं की ओर देशों के संकरमण तथा पेरसि समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिये जलवायु वत्तित महत्वपूर्ण है।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परविरतन के प्रभावों के प्रतिअनुकूल बनाने और सतत विकास को आगे बढ़ाने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिये यह वत्तितपोषण आवश्यक है।
- जलवायु वत्तित कार्य समूह (Climate Finance Working Group) के अनुसार, जलवायु परविरतन को संबोधित करने के लिये 118 ट्रिलियन रुपए की आवश्यकता है, जिनमें 64 ट्रिलियन रुपए उपलब्ध हैं जबकि 54 ट्रिलियन रुपए अपरतिरिक्त हैं। इस अंतराल को घरेलू और विदेशी ऋण के माध्यम से पूरा करना होगा। भारत के विकास वत्तितीय संस्थानों (DFIs) और वाणिज्यिक बैंकों को घरेलू धन जुटाने एवं विदेशों से संसाधन प्राप्त करने में योगदान देना होगा।
- जलवायु वत्तित की चुनौतियों का समाधान करने के लिये भारत को पश्चिमी देशों द्वारा निर्धारित शर्तों पर कार्य करने के बजाय अपनी स्वयं की रूपरेखा और विभिन्न प्रकार की वत्तितपोषण प्रणालियाँ विकसित करने की आवश्यकता है।

जलवायु वत्तितपोषण से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- पश्चिम से धन की कमी:
 - विकसित देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के अधिकांश भाग के लिये ऐतिहासिक रूप से ज़मीनदार हैं जिससे जलवायु परविरतन की स्थितिबिनी है।
 - लेकिन विभिन्न विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई हेतु प्रयाप्त वत्तितीय सहायता प्रदान करने में विफिल रहे हैं।
 - इसने एक महत्वपूर्ण वत्तितपोषण अंतराल को जन्म दिया है और विकासशील देशों के लिये जलवायु परविरतन शमन एवं अनुकूलन उपायों को लागू करना कठनी हो गया है।
- वत्तित तक पहुँच का अभाव:
 - कई विकासशील देश और छोटे द्वीप राज्य दुर्बल वत्तितीय प्रणाली, अप्रयाप्त नियामक ढाँचों और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक सीमित पहुँच जैसे विभिन्न कारकों के कारण वत्तितपोषण तक पहुँच नहीं रखते हैं।
- वत्तितपोषण की उच्च लागत:
 - जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिये प्रायः उल्लेखनीय अग्रमि लागत और दीर्घावधि वत्तितपोषण की आवश्यकता होती है, जिन्हें सस्ती दरों पर प्राप्त करना कठनी सदिध हो सकता है। यह नविशकों को, विशेष रूप से विकासशील देशों में, ऐसी परियोजनाओं के वत्तितपोषण से हतोत्सहाति कर सकता है।
- अनशिचितता और जोखिम:
 - जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिये प्रायः उल्लेखनीय अग्रमि लागत और दीर्घावधि वत्तितपोषण की आवश्यकता होती है, जिन्हें सस्ती दरों पर प्राप्त करना कठनी सदिध हो सकता है। इससे नविशकों के लिये अपने नविश पर संभावित रिटर्न का स्टीक आकलन करना कठनी सदिध हो सकता है।
- क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव:
 - कई विकासशील देशों में प्रभावी जलवायु परियोजनाओं को अभिकल्पित एवं कार्यान्वयिता करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञता एवं क्षमता की कमी है, जिससे परियोजना कार्यान्वयन में देरी और अक्षमता की स्थितिबिन सकती है।
- राजनीतिक और नीतिगत बाधाएँ:
 - राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक इच्छाशक्तिकी कमी जैसी राजनीतिक एवं नीतिगत बाधाएँ जलवायु वत्तितपोषण प्रयासों में बाधक बन सकती हैं।

- नजी क्षेत्र की अपर्याप्त भागीदारी:
 - जलवायु वित्तपोषण को बढ़ाने के लिये नजी क्षेत्र का निवाश महत्वपूर्ण है, लेकिन सीमित बाज़ार प्रोत्साहन, नियमक ढाँचे की कमी और जलवायु जोखिमों के बारे में सीमित जागरूकता जैसे वभिन्न कारकों के कारण नजी क्षेत्र की भागीदारी अभी भी अपर्याप्त है।

संबंधित पहले

- **राष्ट्रीय जलवायु परविरतन अनुकूलन कोष (NAFCC):**
 - इसे वर्ष 2015 में भारत के उन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिये जलवायु परविरतन अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिये स्थापित किया गया था जो वैशिष्ट रूप से जलवायु परविरतन के प्रतकूल प्रभावों के प्रतिसंवेदनशील है।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF):**
 - इसे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये स्थापित किया गया था और इसे उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर एक आरंभिक कारबन टैक्स के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।
 - यह एक अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा शासित होता है जिसका अध्यक्ष वित्ति सचिव होता है।
 - इसे जीवाशम और गैर-जीवाशम ईंधन आधारित क्षेत्रों में नवीन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास को वित्तपोषित करने का कार्यभार सौंपा गया है।
- **राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAF):**
 - इसकी स्थापना वर्ष 2014 में 100 रुपए के कोष के साथ की गई थी जहाँ लक्ष्य था आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच की खाई को दूर करना।
 - यह कोष पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय (MoEF&CC) के अंतर्गत संचालित है।

जलवायु वित्तपोषण के लिये आगे की राह

- **DFIs से संसाधन जुटाना:**
 - कम व्यावसायिक अपील के कारण बैंकिंग प्रणाली द्वारा जलवायु शमन एवं अनुकूलन निविशों को वित्तपोषित करने की संभावना नजर नहीं आती, इसलिये जलवायु वित्ति को शामिल करने के लिये प्राथमिकता क्षेत्र को स्पष्ट रूप से प्रभावित करना महत्वपूर्ण है।
 - हालाँकि दीर्घावधि संसाधनों को विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) से जुटाने की आवश्यकता होगी क्योंकि एक बड़ा वित्तपोषण अंतराल मौजूद है।
 - DFIs ने पूर्व में घरेलू निधियों से प्रतिसिप्रदाधि और उच्च हेजिंग लागतों (hedging costs) के कारण विशी मुद्रा ऋणों से परहेज रखा है।
 - जलवायु निविश के लिये आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिये DFIs को प्रोत्साहित करने के हेतु सरकार को हेजिंग लागत का प्रबंधन करने के उद्देश्य से उपयुक्त कदम उठाने होंगे।
- **नजी क्षेत्र से निवाश:**
 - [जलवायु शमन एवं अनुकूलन](#) परयोजनाओं के वित्तपोषण के लिये नजी क्षेत्र का निवाश महत्वपूर्ण है।
 - कुछ निविशों को बैंक क्रेडिट तक पहुँच के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है, लेकिन कई अन्य औसत से कम रटिरन, लंबी पूर्णता अवधि और उच्च वित्तीय जोखिमों के कारण ब्याज लागत को पूरा कर सकने में सक्षम नहीं भी हो सकते हैं।
- **मशिरति वित्तपोषण को बढ़ावा देना:**
 - जलवायु वित्तपोषण के समर्थन के लिये मशिरति वित्ति (Blended finance) का उपयोग वभिन्न तरीकों से किया जा सकता है।
 - मशिरति वित्ति एक नवीन वित्तपोषण दृष्टिकोण है जो विकास उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सार्वजनिक और नजी पूँजी को संयुक्त करता है।
 - उदाहरण के लिये, इसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा परयोजनाओं, हरति अवसंरचना और जलवायु-कुशल कृषि के वित्तपोषण के लिये किया जा सकता है। इसका उपयोग जलवायु अनुकूलन परयोजनाओं, जैसे समुद्री दीवारों के निर्माण या जल प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के लिये वित्तपोषण प्रदान करने के लिये भी किया जा सकता है।
- **उत्प्रेरक या स्टार्ट-अप फंडिंग:**
 - उत्प्रेरक वित्तपोषण (Catalytic funding) का उपयोग प्रमुख आरथिक गतिविधियों को हरति गतिविधियों में 'पुनरुद्देशति' करने के लिये किया जाना चाहिये, जो ऐसा विषय है जिसे पश्चात्यावधि वित्ति और इसकी रूपरेखा अपने वर्गीकरण के अनुसार चहिन्ति नहीं भी करती है।
 - सरल और अनुल्लंघनीय वर्गीकरण ढाँचे, नरिक्षण और क्षमता निर्माण तंत्र द्वारा समर्थित पुनरुद्देश्य (Re-purposing) उल्लेखनीय रूप से कम मात्रा के निवाश के साथ मौजूदा आरथिक गतिविधियों को हरति गतिविधियों में बदल सकता है।
- **नवोन्मेषी वित्तपोषण तंत्र की आवश्यकता:**
 - ऐसे नवोन्मेषी वित्तपोषण तंत्र की आवश्यकता है जो वैशिष्ट रूप से विकासशील देशों में जलवायु संबंधी परयोजनाओं के लिये धन उपलब्ध करा सके।
 - इनमें से कुछ तंत्रों में ग्रीन बॉन्ड, जलवायु कोष और कारबन बाज़ार शामिल हैं।

अभ्यास प्रश्न: वैश्वकि जलवायु संकट से निपटने के लिये जलवायु वित्ति को जुटाने और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकने में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वित्त वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????? ??????

Q. वर्ष 2015 में पेरसि में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (वर्ष 2016)

1. समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गए थे और यह वर्ष 2017 में लागू हुआ था।
2. समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्वकि तापमान में वृद्धपूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C या 1.5°C से अधिक न हो।
3. वकिसति देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक जमिमेदारी को स्वीकार किया और वकिसशील देशों को जलवायु परविरतन से निपटने में मदद करने हेतु वर्ष 2020 से सालाना 1000 अरब डॉलर की मदद के लिये प्रतिविद्ध हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: b

व्याख्या:

- पेरसि समझौते को दसिंबर 2015 में पेरसि, फ्रांस में COP21 में पार्टियों के सम्मेलन (COP) द्वारा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवरक कन्वेशन ऑन क्लाइमेट चैंज (UNFCCC) के माध्यम से अपनाया गया था।
- समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्वकि तापमान में वृद्धपूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो। **अतः कथन 2 सही है।**
- पेरसि समझौता 4 नवंबर, 2016 को लागू हुआ, जिसमें वैश्वकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को अनुमानति 55% तक कम करने के लिये अभिसमय हेतु कम-से-कम 55 पार्टियों ने अनुसमर्थन, , अनुमोदन या परागिरहण स्वीकृतप्रदान की थी। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- इसके अतिरिक्त समझौते का उद्देश्य अपने स्वयं के राष्ट्रीय लक्षणों के अनुरूप जलवायु परविरतन के प्रभावों से निपटने के लिये देशों की क्षमता को मजबूत करना है।
- पेरसि समझौते के लिये सभी पक्षों को राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDC) के माध्यम से अपने सर्वोत्तम प्रयासों को आगे बढ़ाने और आने वाले वर्षों में इन प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी शामिल है कि सभी पक्ष अपने उत्सर्जन और उनके कार्यान्वयन प्रयासों पर नियमित रूप से रपोर्ट करें।
- समझौते के उद्देश्य को प्राप्त करने की दशा में सामूहिकि प्रगतिका आकलन करने और पार्टियों द्वारा आगे की व्यक्तिगत कार्रवाइयों को सूचिति करने के लिये प्रत्येक 5 साल में एक वैश्वकि समालोचना भी होगा।
- वर्ष 2010 में कनकुन समझौतों के माध्यम से वकिसति देशों को वकिसशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य हेतु प्रतिविद्ध किया।
- इसके अलावा वे इस बात पर भी सहमत हुए कि वर्ष 2025 से पहले पेरसि समझौते के लिये पार्टियों की बैठक के रूप में सेवारत पार्टियों का सम्मेलन प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से एक नया सामूहिकि मात्रात्मक लक्ष्य नरिधारति करेगा। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

अतः वकिलप (b) सही है।

????????????? ??????

प्रश्न. जलवायु परविरतन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवरक कन्वेशन (UNFCCC) के पार्टियों के सम्मेलन (COP) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (वर्ष 2021)